



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1711 / Type Approval No. 1711

मद/FOR ITEM: एल सी ए हेतु एक्स बैंड मोनो-पल्स कम्पेरेटर - एमएमआर ऐन्टेना
पार्ट सं. एसएमआर (के) /एलसीए/एक्स-सीओएमपी/10

X-BAND MONO-PULSE COMPARATOR FOR LCA – MMR ANTENNA
Part No.: SMR (K)/LCA/X-COMP/10

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स समीर कोलकत्ता सेंटर आर एण्ट डी प्रयोगशाला, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट-एल2, ब्लॉक-जीपी, सेक्टर-V, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, कोलकत्ता-700091, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “एक्स बैंड मोनो-पल्स कम्पेरेटर - एमएमआर ऐन्टेना” पार्ट सं. एसएमआर (के) /एलसीए/एक्स-सीओएमपी/10 को असेंबली आरेखन सं. एसएमएमडब्ल्यू/टीएलडब्ल्यू/01/आर 3, रिविजन सं. आर 3, दिनांक 19 जून 2009 के अनुसार एलसीए (तेजस) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (हैदराबाद) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. एसएमआर (के) /एक्स-सीओएमपी/तकनीकी विनिर्देश/10, इश्यू-01, दिनांक 29 जनवरी 2010 और क्वालिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज सं. एसएमआर (के) /एडीए/क्यूटीपी/08, दिनांक 03 मार्च 2008 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “X-Band Mono-Pulse Comparator-MMR Antenna” bearing the Part No.: SMR (K)/LCA/X-COMP/10 designed, developed and manufactured by M/s Sameer Kolkata Centre R&D Laboratory, Department of Information Technology, Ministry of Communication & Information Technology, Govt. of India, Plot – L2, Block – GP, Sector – V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata-700 091, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: SMMW/TLWA/01/R3, Rev. No.: R3, Dt: 19th Jun 2009 for use in LCA (Tejas). The product has been tested in co-ordination with RCMA (Hyderabad) as per Governing Technical Specification Doc No.: SMR (K)/X-COMP/Tech Spec/ 10, Issue: 01, Dt: 29th Jan 2010 and Qualification Test Procedure Doc No.: SMR (K)/ADA/QTP/08, Dt: 03rd Mar 2008. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2016** तक वैध है तथा बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (हैदराबाद)**, द्वारा **एचएएल**, हैदराबाद से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2016, unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyd), C/O HAL, Hyderabad for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक)**, बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए **डी.जी.ए.क्यू.ए**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लियरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’


सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1711

दिनांक/Date : **15 Mar 2012**

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(डॉ. के. तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


16/03/12


16/03/2012


16/3